बहस अनुसार सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में किये गये कथनों को दोहराया तथा वाद को डिक्री करने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी संख्या 1 ने वादपत्र को डिक्री किये जाने में सहमति जाहिर की। मेरे द्वारा वादी के अभिकथनों तथा साक्ष्य के तौर पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी के वाद तथा प्रस्तुत दस्तावेजो से वादी के वाद की आंशिकतः ताईद होती है तथा प्रतिवादी के अभिभाषक द्वारा वाद का विरोध नहीं किया गया है। मौजा धानणी में खेत खसरा नम्बर 277/1 रकबा 8.0694 हैक्टेयर में वादी गण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को सहखातेदार कृषक घोषत किया किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। लेकिन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 क्रमशः ओमप्रकाश, रामेश्वरी एवं जठीदेवी ने उक्त खाता से अपना सम्पूर्ण हिस्से का त्याग कर रहे है एवं दावा विभाजन व घोषणा अधीन धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया है। चूंकि यह मामला हक तर्क द्वारा भूमि अन्तरण का है अतः हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प ड्यूटि तहसीलदार जायल के पास जमा होने पर अमल दरामद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियो के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिकी निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 मंगलाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा धानणी के खेत खसरा नम्बर 277/1 रकबा 8.0694 हैक्टेयर में से रकबा 3.7635 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
2. वादी संख्या 2 रामकुमार के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा धानणी के खेत खसरा नम्बर 277/1 रकबा 8.0694 हैक्टेयर में से रकबा 1.0521 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
3. वादी संख्या 3 देवकरण के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा धानणी के खेत खसरा नम्बर 277/1 रकबा 8.0694 हैक्टेयर में से रकबा 0.8498 हैक्टेयर व दूसरा हिस्सा 1.9586 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
4. वादी संख्या 4 तिलोकराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा धानणी के खेत खसरा नम्बर 277/1 रकबा 8.0694 हैक्टेयर में से रकबा 0.2832 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
5. मौजा धानणी के खसरा नम्बर 277/1 रकबा 8.0694 हैक्टेयर में से 1 बीघा रास्ते हेतु माफिक नजरी नक्शानुसार आरक्षित किया जाता है।
6. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 क्रमशः ओमप्रकाश, रामेश्वरी एवं जठीदेवी द्वारा अपने हक हिस्से का त्याग करने से मामला हक त्याग के द्वारा भूमि अन्तरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्यूटी जमा होने पर नाम हटाये जाने के आदेश दिये जाते है।
7. उक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरान का रहन यथावत रहेगा। सूचित हो।
8. वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा डिक्रि आदेश का भाग रहेगा।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि वे नियमानुसार हक तर्क के लिए आव श्यक स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी जायल

निर्णय आज दिनांक 13/07/24 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner